id) Pursuant to the consultations held with the State Governments and on the basis of the report of the Expert Committee constituted for an indepth study of the situation, it was observed that un-checked and un-regulated increase in the coastal fishing effort had led to increased competition between traditional fishing boats and mechanised fishing vessels for targetting a finite resource. However, it has been decided that no more applications for deep sea fishing will be processed till the whole matter is reviewed.

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पादन की विकास दर

2239. **श्री अजीत जोगी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पादन की औसत विकास दर कितनी-कितनी रही है;

(ख) क्या योजना आबंटन के अलावा राज्य सरकार को इस उद्योग के विकास के लिए कोई अन्य वित्तीय सहायता भी दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है और सभी प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभिन्न खंडो को भी कवर करता है । बहरहाल फल और सब्जी की विकास दर 1992-93 में 30.28% और 1993-94 में 23.66% थी । उक्त अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में दूध उत्पादों की विकास दर क्रमशः लगभग 8.5% और 8% थी । इस अवधि के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक की विकास दर 8% और बीयर की 10.15% रही । इस अवधि के दौरान कोको उत्पादों की विकास दर 0.25% और 1.2% रही पर चाकलेट की विकास दर नहीं बढ़ी ।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना सहायता के अलावा कोई वित्तीय सहायता नहीं देता । बहरहाल, राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम सरकारी क्षेत्र में स्थित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को राज्यों के मार्फत सहायता देता है ।

आन्ध्र प्रदेश में बूचड़खानों को बंद करने के लिए आन्दोलन

2240. **श्री राधवजी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में स्थित अलकबीर बूचड़खाना के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है तथा सत्याग्रह आदि आयोजित हुए है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार जन भावना को ध्यान में रखकर इस बूचड़खाने को बंद करायेगी; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या देश में भविष्य में इस प्रकार का कोई बूचड़खाना न खुल पाये, सरकार इस दिशा में कोई कदम उठायेगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) अखिल भारत कृषि गऊ सेवा संघ, फेडरेशन आफ आंध्र प्रदेश आर्गेनाइजेशन्स, यांत्रिक कतलखाना विरोधी समिति, अखिल भारतीय सन्त समिति आदि जैसे कुछ शाकाहारी और पशु अधिकार संगठन मैसर्स अलकबीर एक्सपोर्टस लि० की परियोजनाओं के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। इनमें से कुछ संगठनों ने बूचड़खाना बंद करने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की हैं। याचिका को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

Supply of Auto-analysers to Medical Institutions

2241. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the names of the Medical equipment manufacturing firms who are making autoanalyser/semi autoanalysers for use in medical institutions;

(b) whether it is a fact that M/s Trans Asia Bio-Medical Pvt. Ltd. having its regional office at Sethi Bhawan, Rajendra Place, New Delhi has supplied the autoanalysers to several hospitals in Delhi and to medical colleges in U.P. like Mecrut and Lucknow;

(c) whether it is also a fact that the above said firm is selling the auto-analyser models ERBA-16, ERBA Chem-5 by giving ambiguous informations about their manufacturer and also quoting different rates to different places specially to U.P. Government and hospitals m Delhi; and

(d) if so, what action Government pro pose to take against the said firm which has cheated Government amounting in lacs of rupees ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the House.